

NAME	PLACE	DATE
Dainik Navajoyti	Ajmer	02.09.2023



बीएसएल लिमिटेड

सीआईएन : L24302RJ1970PLCO02266

पंजीकृत कार्यालय: 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, भीलवाड़ा - 311001, (राजस्थान)

फोन: +91-1482-249101-102, 245000

ईमेल: accounts@bslsuitings.com; वेबसाइट: www.bslltd.com

52वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

26 अगस्त, 2023 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बीएसएल लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 52वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधी नगर, भीलवाड़ा-311 001 (राजस्थान) माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने पूर्व के परिपत्रों (परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 क्रमशः और उसके बाद के परिपत्रों 02/2021, 21/2021 एवं 02/2022 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 को आगे बढ़ाते हुए 28 दिसम्बर, 2022 के अपने परिपत्र संख्या 10/2022 के माध्यम से और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी इसके विविध परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) (सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 52वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 52वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 1 सितम्बर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। सदस्यों को 52वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

52वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.bslltd.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 52वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिजिटैरियालाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेर्यरप्रतिरक्षित रखने वाले शेर्यरधारक तथा ऐसे शेर्यरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर्यर अंतरण पुस्तकें **शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक वार्षिक समापन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेर्यरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

21 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटैरियालाइज्ड रूप में शेर्यर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या **कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2023** के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **रविवार, 24 सितम्बर, 2023 को (9:00 बजे पूर्वाह्न आईएसटी) आरम्भ होगी तथा बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को (5:00 बजे अपराह्न आईएसटी)** समाप्त होगी। इसके पश्चात् रिमोट वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कथित तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों के नाम **बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023** अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची में प्रदर्शित हो, को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के समता शेर्यर पर रुपये 1.5 (15) प्रति समता शेर्यर के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि 52वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार **कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023** को कम्पनी की प्रदत्त समता शेर्यर पूँजी में उनकी भागदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु **कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023** के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 52वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 52वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेर्यर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेर्यर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: बीएसएल लिमिटेड) , एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: क) फोलियो नंबर, ख) शेर्यरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेर्यर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे) बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेर्यरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट शेर्यर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु सीएस श्री मनोज महेश्वरी, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3355), की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अद्वितीय घंटे के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट www.bslltd.com पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com में फाइलिंग कर की जाएगी।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम, 1961"), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेर्यरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेर्यरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाते समय स्रोत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेर्यरधारक की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **11 सितम्बर, 2023** को या उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें।

अतः शेर्यरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज/घोषणाएं कम्पनी को bslagm@bslsuitings.com पर/कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेर्यर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो।

आईटी अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेर्यरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रासंगिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 24 जुलाई, 2023 को सभी शेर्यरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संचार भेजा गया है एवं उक्त संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: www.bslltd.com.

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु "फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस" (FAQs) एवं एजीएम में भाग लेने हेतु तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका" संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022-4866 7000 एवं 022 2499 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

मंडल के आदेशानुसार
हस्ता/—
शुभम जैन

स्थान : भीलवाड़ा

दिनांक : 1 सितम्बर, 2023

कम्पनी सचिव

एसीएस - 49973